फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ, जिला जयपुर, राजस्थान

सरकार बनाम नाथी देवी वगै0

0 :– 35/2024

नांक आज्ञा कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
06.2025	पत्रावली पेश हुई। पैरोकार सरकार व वकील प्रतिवादी सं0 4 उपस्थित। वकील प्रतिवादी सं0 4 ने जवाब पेश किया। जिसे शामिल मिसल किया गया। शेष प्रतिवादी सं0 1 लगायत 3 अनुपस्थित। इनको बार–बार आवाज लगवाई गई तथा इन्तजार किया गया। लेकिन उपस्थित नही। अतः प्रतिवादी सं0 1 लगायत 3 के विरूद्व एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। वकील प्रतिवादी सं0 4 व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली वास्ते आदेश हेतु दिनांक 23.06.2025 को पेश हों।	
06.2025	पत्रावली पेश हुई। पैरोकार सरकार व वकील प्रतिवादी उपस्थित। पत्रावली आदेश में विचाराधीन है। पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा पैरोकार सरकार व वकील प्रतिवादी सं0 4 की बहस का मनन किया गया। वकील प्रतिवादी सं0 4 ने अपनी बहस में निवेदन किया कि मद सं0 1 मे वर्णित खसरा नम्बर 119, 120, 121, 248, 370, 373 कुल किता 6 कुल रकबा 1. 99है0 की खातेदारी खातेदारों के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है व दर्ज हिस्से अनुसार काबिज है। मद सं0 2 आधारहीन होने से अस्वीकार है अवैध बैचान बाबत किसी प्रकार का पंजीकृत दस्तावेज पत्रावली में शामिल नही है। इकरार नामा के आधार पर 175 की कार्यवाही विधि समत नही है। प्रार्थना पत्र में किसी भी सोसाईटी के न ही सोसाईटी के नाम किया गया कोई विकय रजि0 है उक्त प्रकरण किसी व्यक्तिगत रंजिश को लेकर किसी अजनबी व्यक्ति ने बिना नाम पते के एक प्रार्थना पत्र तहसीलदार के समक्ष गलत खरीद परोक्ष के बाबत प्रस्तुत किया और उसमें सोसाईटी में समर्पण करने का कथन किया है दबाव बनाकर बेचने की बात लिखी हुई उक्त शिकायत से स्पष्ट है कि जो भी दस्तावेज विकय के पेश किये गये है व विधिक नही है और पटवारी की रिपोर्ट में इकरार नामा का वर्णन करते हुए बैचान दर्शित बताया है जबकि कानूनन इकरार नामा के आधार पर व बिना जॉच के 175 की कार्यवाही नही की जा सकती खातेदारों को तहसीलदार ने अपना पक्ष रखने का कोई अवसर नही दिया। गलत प्रकार से गलत रिपोर्ट के आधार पर उक्त प्रकरण पेश किया है जो सोसाईटी के नक्शे व भैरव गृह निर्माण पटटे व इकरारनामें पर किसी भी खातेदारों के हस्ताक्षर प्रमाणित नही है। ऐसी स्थिति में प्रथम सूचना रिपोर्ट 233 दिनांक 07.11.2023 की फोटो के आधार पर ऐसा प्रकरण दर्ज कर 175 की कार्यवाही करना विधि के पूर्ण रूप से विपरित हैं 175 के प्रकरण के लिए उक्त प्रकरण खिलाफ विधि पेश किया है जो इसी स्तर पर खारिज फरमाया जावें। खातेदारों ने धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का किसी प्रकार से उल्लघंन नही किया है। मौके पर किसी प्रकार से कोई कॉलोनी नही है कृषि कार्य मौके पर विधमान है किसी प्रकार से कोई गैर कृषि कार्य मौके पर संचालित नही होने से मौका रिपोर्ट तलब कर साक्ष्य उपरान्त उक्त प्रकरण खिलाफ विधि पेश किया है।खातेदारों को भूमि से बेकाबिज नही किया जा सकता बनावटी दस्तावेज जिन पर खातेदारों के हस्ताक्षर नक्शें व पटटो पर नही है इसलिए सिवाईचक घोषित नही किया जा सकता। उक्त प्रकरण गलत क्षेत्राधिकार मे पेश किया गया है जो विधि वर्जित होने से खारिज फरमाया जावें। पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में अवगत कराया कि ग्राम नांगलतुलसीदास, पटवार हल्का बासना, तहसील जमवारामगढ में मुताबिक रिकार्ड जमाबन्दी संवत 2073 से 2076 के खाता संख्या नया 61 पुराना खाता सं0 61 में अंकित खसरा नम्बर 119 रकबा 0.31है0, खसरा नम्बर 120 रकबा0.09है0, खसरा नम्बर 121 रकबा 0.23है0, खसरा नम्बर 248	

रकबा 0.5100है0, खसरा नम्बर 370 रकबा 0.29है0, खसरा नम्बर 373 रकबा 0.56है0 कुल किता 6 कुल रकबा 1.99है0 की खातेदारी राजस्व रिकार्ड मे अप्रार्थी नाथी पुत्री श्री नारायण हि0 1/2 जाति बलाई निवासी नांगलतुलसीदास, व रामप्रता दीवान पुत्र लादुराम दीवान हि0 1/2 जाति रैगर निवासी माजीपुरा तहसील जमवारामगढ के नाम दर्ज रिकार्ड है। जो राजस्व रिकार्ड मुताबिक कृषि भूमि है। उक्त भूमि का बैचान बाबत शिकायती प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर जॉच रिपोर्ट के साथ प्राप्त दस्जावेत में एक विकय इकरारनामा अप्रार्थी सं0 1 व 2 द्वारा उक्त वर्णित भूमि का इकरारनामा विकय दिनांक 05.10.2020 को नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर एक सौ रूपये पर नॉटरी द्वारा प्रमाणित के बैचान रामंकवार अटल पुत्र स्व0 श्री घासीराम अटल निवासी रैगरो का मोहल्ला कुकस तहसील आमेर जिला जयपुर को किये जाने के फोटोप्रति प्रस्तुत की तथा भैरव गृह निर्माण सहकारी समिति लि0 जयपुर द्वारा भूखण्ड के आवंटन पत्र की फोटो प्रति मय साईट प्लान नक्शा तथा उक्त आराजी के संबंध में पुलिस थाना जमवारामगढ में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट 0233 दिनांक 07.11.2023 की फोटोप्रति प्रस्तुत की से स्पष्ट होता है कि उक्त अनुसूचित जाति की कृषि भूमि को बिना कृषि भूमि रूपान्तरण के अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति अप्रार्थी सं0 4 श्रीराम मीणा को हुआ है जो धारा 42 का उल्लंघन की श्रेणी मे आता है। भैरव गृह निर्माण सहकारी समिति लि0 जयपुर द्वारा उक्त भूखण्ड आवंटन के पटटे जारी किये जाकर मौके पर भूमि के स्वरूप को बदलने का कार्य कृषि भूमि पर की जा रही गैर कृषि कार्यवाही उस भूमि क्षेत्र से बेदखल करने के अधीन आता है। अतः अप्रार्थी सं0 1 भूमि हि0 1/2 को सिचायचक घोषित किया जाकर खातेदार व अप्रार्थी सं0 2, 3, 4 को बेदखल करने के आदेश प्रदान करे एवं तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अलम दरामद के आदेश पारित करने की आज्ञा प्रदान करें।

पत्रावली में उपलब्ध वाद पत्र, जवाब प्रतिवादी एवं अन्य दस्तावेजों का अवलोकन करने एवं बहस का मनन करने पर पाया कि ग्राम नांगलतुलसीदास, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर में स्थित वादांकित भूमि जमाबन्दी संवत 2073 से 2076 के खाता संख्या नया 61 पुराना खाता सं0 61 में अंकित खसरा नम्बर 119 रकवा 0.31है0, खसरा नम्बर 120 रकबा0.09है0, खसरा नम्बर 121 रकबा 0.23है0, खसरा नम्बर 248 रकबा 0.5100है0, खसरा नम्बर 370 रकबा 0.29है0, खसरा नम्बर 373 रकबा 0.56है0 कुल किता 6 कुल रकबा 1.99है0 की खातेदारी राजस्व रिकार्ड मे अप्रार्थी नाथी पुत्री श्री नारायण हि0 1/2 जाति बलाई निवासी नांगलतुलसीदास, व रामप्रता दीवान पुत्र लादुराम दीवान हि0 1/2 जाति रैगर निवासी माजीपुरा तहसील जमवारामगढ के नाम दर्ज रिकार्ड है। पत्रावली में वाद के साथ प्रस्तुत भैरव गृह निर्माण सहकारी समिति लि0 जयपुर के आवंटन पत्र में भूमि के आराजी खसरा नम्बरों का उल्लेख नही होने से यह स्पष्ट नही हो सकता है कि उक्त वादग्रस्त भूमि के संबंध में ही आवंटन पटटा जारी किया गया है ना ही पत्रावली में ऐसे कोई दस्तोवज पेश नही किये गये जिनसे यह जाहिर होता हो कि वादग्रस्त भूमि का उपयोग उपभोग कृषि से अकृषि मे हो रहा है। वर्तमान में उक्त वादग्रस्त भूमि राजस्व रिकार्ड अनुसार अप्रार्थी नाथी पुत्री श्री नारायण हि0 1/2 जाति बलाई निवासी नांगलतुलसीदास, व रामप्रता दीवान पुत्र लादुराम दीवान हि0 1/2 जाति रैगर निवासी माजीपुरा तहसील जमवारामगढ के नाम दर्ज रिकार्ड है। जो कि अनुसूचित जाति के है। प्रकरण में धारा 42 को उल्लंघन किये जाने कोई प्रश्न ही होता। इकरारनामें के आधारा पर धारा 42 का उल्लघंन माना जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता है। अतः पत्रावली में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र को अस्वीकार करना उचित समझते है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र अन्तर्गत धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 को खारिज किया जाता है। साथ ही प्रार्थी का यह निर्देश दिये जाते है कि अगर मौके पर भूमि का उपयोग गैर कृषि कार्य हेतु किया जा रहा है तो प्रकरण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 के तहत पेश करने हेतु स्वतंत्र रहेगें।

निर्णय आज सरे इजलाश सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हों।